

31/1/24

.PV

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/49

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177	32/24	29/1/24		13/2/24
	नोट: श्री पी. पी. अर्जुन 156 8/10/23 अपील फाइल करके के अदालत में प्रार्थना है कि उसे जमानत दे दी जाए। दोसरे, बरतारत जमानत जाफरी अर्ज 2347 9/12/23 कास (तारीख 2/2/24) श्री पी. पी. अर्जुन के अपील के			14/8/24
				9/9/24
				10/10/24
				6/11/24
				26/11/24
				12/12/24
				10/1/25
				24/1/25
				14/1/25
				30/1/25
				06/2/25

2024/49

[Signature]
1/1/24

6/2/25

अनवान

श्री पेंसो गिट लरकाट जरीये लरकाट श्री कालु शंकर देवी

निवासी बिजौलिया

निवासी रसोयदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पेंसो गिट लरकाट

श्री Ex - part

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

राजस्वान् कारकार

बनाम

मालु

किरम मुकदमा

177

नम्बर

32

सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/1/2024	<p>वादपत्र पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>
13/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p>	<p>Om</p>
5/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी</p>
16/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी</p>
15/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी</p>
5/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 26/1/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी</p>

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 10/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अपक्षी (2,3,4,7,12) की
जाद तालीम प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। शेष की तालीम अग्राह्य। पत्रावली
में (2,3,4,7,12) के विरुद्ध स-पक्षीय
आदेश जारी किए गए। पत्रावली वास्ते तलबी
आज्ञा की दिनांक 14/8/24 को पेश हो।

उ

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 9/9/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी आज्ञा की
दिनांक 10/10/24 को पेश हो।

उ

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 6-11-24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी आज्ञा की
दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

उ

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 10/12/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

अज्ञ सायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा
क्र. सं. DR 1301/99 वनाम अ.क.
नियम मुकदमा धारा 177 RTA प्रकरण संख्या 32/27
CCMS नंबर 2529/99

तारीख हुकम
हुकम या कार्रवाई मश इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

10/12/24 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली दिनांक 24/12/24 को वास्ते 3-81A पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

24/12/24 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली दिनांक 24/12/24 को वास्ते 3-81A पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

14/1/25 प्रात्रवली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रवली दिनांक 14/1/25 को वास्ते 3-81A पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

30/1/25 प्रात्रवली पेश हुई। शेष विपरीत को रजि डाय ले तामिल में ही गई। विपरीत बाद पूरगा अनुपस्थित। समस्त विपरीतों के विरुद्ध लड़ पक्षीय मोफरा पारित किए गए। प्रात्रवली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 06/02/25 को पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

6/2/25 प्रात्रवली पेश हुई। पेंसेनर सरकार की बरत खुर्ची गरी प्रात्रवली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुल-यायालय में खुला राह। तदनुसार विजौलियाँ की पालिका लिखा जावे। प्रात्रवली अन्त ले कम होकर दाखिल पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

गयालय उपखण्ड अधिकारी विज्ञापियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

गदपत्र संख्या 32 / 2024

तापत्र तारीख 29.01.2024

भीठारीन अधिकासी - श्रीमान अजीत सिंह सठीइ (आर.प.एस)

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जारिसे तहसीलदार विज्ञापियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

वादी

बनाम्

01. कालु पुत्री देवी, जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
02. शिवराज पुत्र गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
03. हेमा पुत्री गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
04. रानी पुत्री गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
05. राजु पुत्र जगदीश जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
06. रेखा पुत्री जगदीश जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
07. प्रकाश पुत्र देवी जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
08. प्रेम पुत्र देवी जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
09. गुड्डी देवी पत्नी प्रहलाद जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
10. धनराज पुत्र बवल जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
11. किशन पुत्र बवल जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा
12. सायरी पुत्री देवी, जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील विज्ञापियां जिला भीलवाड़ा

.....प्रतिवादी

उपस्थित :- 1. पैरोकार तहसीलदार।अधिवक्ता वादी

2. एक पक्षीय कार्यवाही - अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काइतकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 06 / 02 / 2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार विज्ञापियां

ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया / अनुतोष चाहा कि ग्राम रसदपुरा पटवार मण्डल आरोली भू.अ.नि.क्षेत्र

लगातार पेज संख्या 02



उप खण्ड अधिकारी
विज्ञापियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

सलावाटिया तहसील बिजौलिया की राखतद में श्वेत खाता संख्या 10 में अंकित खसरा नम्बर 102 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि किरम बारांनी तृतीय एवं खसरा नम्बर 55 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि किरम बारांनी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.6474 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजसरा रेकॉर्ड में खातेदारी एक से दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 102 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि किरम बारांनी तृतीय एवं खसरा नम्बर 55 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि किरम बारांनी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.6474 हैक्टयर भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया है। खसरे को प्रयोजनार्थ / अकृषी उपयोग किया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी 2, 3, 4, 7, 12 की बाद तामील प्राप्त हुई जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण के नोटिस अपूर्ण पते के कारण अदम तामील में प्राप्त हुए। तत्पश्चात् तहसीलदार बिजौलिया को पूर्ण पत्ते के लिए तहरीर जारी की गई, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण को पुनः रजि ड्राक से तामील भेजी गई जिसकी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। किया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण की और से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य / वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलिया ने भू अभि. नि. क्षेत्र सलावाटिया द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत् 2073-2076, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस फौटे ग्राफ पेश की जो शामिल पत्रावली है।

लगातार पेज संख्या 03 पर



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

पैसा संख्या 088

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की वहस गई एवं साक्ष्य / दरतावजों का अध्ययन / मनन किया गया । विपक्षीगण की और से कोई रिश्तत नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं

:- आदेश :-

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रसदपुरा पटवार मण्डल आरोली भूअनि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खता संख्या 10 में अंकित खसरा नम्बर 102 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 55 / 11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टयर भूमि खसरा बारानी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.6474 हैक्टयरभूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 06 / 02 / 2025 को लिखवाया जाकर चुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां





राजस्थान सरकार
मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

भीवासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)
भीवासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)
वादपत्र संख्या 32 / 2024

दायर तारीख 29.01.2024

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये

अनवान

तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम

.....डिक्रीदार

01. कालु पुत्री देवी, जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. शिवराज पुत्र गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
03. हेमा पुत्री गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
04. रानी पुत्री गोवर्धन जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
05. रातु पुत्र जगदीश जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
06. रेखा पुत्री जगदीश जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
07. प्रकाश पुत्र देवी जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
08. प्रेम पुत्र देवी जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
09. गुडडी देवी पत्नी प्रहलाद जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
10. धनराज पुत्र बबल जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
11. किशन पुत्र बबलु जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
12. सायरी पुत्री देवी, जाति हरिजन निवासी ग्राम रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....मदयून

उपरिष्ठत :- 1. धैरोकार तहसीलदार। ...डिक्रीदार

2. एक पक्षीय कार्यवाही – मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 06/02/2025

डिक्री दिनांक 06/02/2025

यह मुकदमा आज वास्तु इन्फिसल करई रुबक न्यायालय आप पक्षकारान
धैरोकार सरकार उपरिष्ठत के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-



उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

गारपत्र गादी अन्तर्गत घारा 177 राजस्थान कायदाकरी अधिनियम डिब्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ग्राम रसगपुरा पटवार मण्डल आंचोली गू.अ.नि.क्षेत्र सलाबटिया तारीख बिर्जोलिया की सरदर में स्थित खाता संख्या 10 में अंकित खसरा नम्बर 102/11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टियर भूमि किरम बाराणी तृतीय एवं खसरा नम्बर 55/11 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टियर भूमि किरम बाराणी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.6474 हैक्टियर भूमि को विलानाम सरकार दर्ज किया जाते। खना पक्षकारान रतय अपना अपना वहन करे। डिब्री मूर्तिव की गई।

बरावत Nil नीज Nil मुबलिया Nil
 तालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nil का अदा करे । फीस दी

किया गया । बसवत भेरे दरसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 वर्ष 2025 को जारी

(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिर्जोलियां

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया महलताना वकील नामा स्टाम्प वजह सबूत महलताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महलताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक		
			मीजान		मीजान



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिर्जोलियां